



ऑवर द टॉप (OTT) वनियमन हेतु: प्रसारण सेवा वनियमन वधियक 2023 का मसौदा

यह एडिटोरियल 16/11/2023 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित [“Regulating OTT: Draft Broadcasting Regulation Bill may be an attempt to control digital infrastructure”](#) लेख पर आधारित है। इसमें प्रसारण सेवा (वनियमन) वधियक, 2023 के प्रवेश के बारे में चर्चा की गई है और विचार किया गया है कि वधियक का ध्यान वास्तव में सार्वजनिक सेवा पर है या सरकार नियंत्रण एवं वनियमन बढ़ाना चाहती है।

प्रलिस के लिये:

प्रसारण सेवा (वनियमन) वधियक, 2023, [केबल टेलीविज़न नेटवर्क \(वनियमन\) अधिनियम, 1995](#), [ओटीटी प्लेटफॉर्म](#), [डिजिटल मीडिया वनियमन](#)।

मेन्स के लिये:

प्रसारण सेवा वनियमन वधियक 2023 के मसौदे की मुख्य विशेषताएँ, वधियक के पक्ष में तर्क, वधियक के विपक्ष तर्क, भारत में प्रभावी प्रसारण वनियमन के हेतु आगे की राह।

वर्ष 1995 का केबल टेलीविज़न नेटवर्क (वनियमन) अधिनियम, जो तीन दशकों से रेखक प्रसारण को नियंत्रित करता रहा है, प्रौद्योगिकीय प्रगति और DTH, IPTV एवं OTT जैसे नए प्लेटफॉर्मों के उदभव के कारण चुनौतियों का सामना कर रहा है।

इस परदृश्य में, भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल प्रसारण क्षेत्र में नियामक ढाँचे को सुव्यवस्थित करने के लिये एक व्यापक कानून की आवश्यकता को चिह्नित करते हुए **प्रसारण सेवा (वनियमन) वधियक 2023 (Broadcasting Services (Regulation) Bill, 2023)** प्रस्तावित किया है।

यह वधियक—जो उभरते मीडिया उद्योग के लिये एक **दूरदर्शी एवं अनुकूलनीय ढाँचा** प्रतीत होता है, भारत में प्रसारण वनियमन के भविष्य के लिये दिशा तय कर रहा है।

प्रसारण सेवा (वनियमन) मसौदा वधियक 2023 की मुख्य विशेषताएँ

- **समेकन और आधुनिकीकरण :**
 - यह एकल वधियायी ढाँचे के अंतर्गत वभिन्न प्रसारण सेवाओं के लिये नियामक प्रावधानों को समेकित एवं अद्यतन करने की दीर्घ अपेक्षित आवश्यकता को संबोधित करता है।
 - **यह ओवर-द-टॉप (OTT)** कंटेंट और डिजिटल समाचार एवं समसामयिकी मामलों के प्रसारण को शामिल करने के लिये अपने नियामक दायरे का वसितार करता है, जो वर्तमान में आईटी अधिनियम, 2000 और उसके तहत बनाये गए नियमों के माध्यम से वनियमित होते हैं।
- **समसामयिकी परभाषाएँ और भविष्योन्मुख प्रावधान:**
 - उभरती प्रौद्योगिकियों और सेवाओं के साथ तालमेल बनाए रखने के लिये, यह वधियक समकालीन प्रसारण शर्तों के लिये व्यापक परभाषाएँ पेश करता है और उभरती प्रसारण प्रौद्योगिकियों के लिये प्रावधानों को शामिल करता है।
- **स्व-नियमन व्यवस्था को सुदृढ़ करना:**
 - यह कंटेंट मूल्यांकन समितियों (Content Evaluation Committees) के प्रवेश के साथ स्व-नियमन (Self-Regulation) को बढ़ाता है और मौजूदा अंतर-वर्गीय समिति को अधिक सहभागी एवं **व्यापक प्रसारण सलाहकार परिषद (Broadcast Advisory Council)** के रूप में विकसित करता है।
- **वभिदति कार्यक्रम कोड और वजिज्ञापन कोड:**
 - यह वभिन्न सेवाओं में कार्यक्रम एवं वजिज्ञापन कोड (Programme and Advertisement Codes) के लिये एक वभिदति दृष्टिकोण की अनुमति देता है और प्रसारकों (broadcasters) द्वारा स्व-वर्गीकरण एवं प्रतबिधित सामग्री के लिये सुदृढ़ पहुँच नियंत्रण उपायों की आवश्यकता रखता है।
- **दवियांगजनों के लिये अभिगम्यता:**
 - यह वधियक व्यापक अभिगम्यता दिशानिर्देशों (comprehensive accessibility guidelines) के मुद्दे के लिये सक्षमकारी प्रावधान

प्रदान कर [द्वियांगजनों](#) की वशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करता है।

■ **वैधानिक दंड और जुर्माना:**

- मसौदा वधियक ऑपरेटरों और प्रसारकों के लिये सलाह, चेतावनी, नदि या मौद्रिक दंड जैसे वैधानिक दंड पेश करता है।
- कारावास और/या जुर्माने का प्रावधान बनाये रखा गया है, लेकिन केवल अत्यंत गंभीर अपराधों/उल्लंघनों के लिये, ताकि विनियमन के प्रती संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित हो सके।

■ **न्यायसंगत दंड:**

- नषिपक्षता और समानता सुनिश्चित करने के लिये मौद्रिक दंड और जुर्माना निकाय की वित्तीय क्षमता से संबद्ध रखे गए हैं, जहाँ उनके नविश और टर्नओवर को ध्यान में रखा जाता है।

■ **इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, प्लेटफॉर्म सेवाएँ और 'राइट ऑफ वे':**

- वधियक में प्रसारण नेटवर्क ऑपरेटरों के बीच अवसंरचना को साझा करने और प्लेटफॉर्म सेवाओं के वहन के प्रावधान भी शामिल हैं।
- इसके अलावा, यह स्थानांतरण (relocation) और परिवर्तनों (alterations) को अधिक कुशलता से संबोधित करने के लिये 'राइट ऑफ वे' (Right of Way) खंड को सुव्यवस्थित करता है और एक संरचित विवाद समाधान तंत्र स्थापित करता है।

Key Features

The bill covers **broadcasters, cable and satellite broadcasting networks, radio, and internet broadcasting**

It defines OTT

Proposes compliance with Advertising and Programming Code

Broadcast Advisory Council for grievance redressal

Proposes penalties for code violations

वधियक के पक्ष में कौन-से तर्क हैं?

■ **अद्यतन वधिकि ढाँचा:**

- यह वधियक [केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995](#) से एक परिवर्तन को इंगति करता है।
 - इसे सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा एक 'महत्त्वपूर्ण वधिन' के रूप में वर्णित किया गया है क्योंकि इसका उद्देश्य नियामक ढाँचे को आधुनिक बनाना और OTT, डिजिटल मीडिया, DTH, IPTV और उभरती प्रौद्योगिकियों की गतिशील दुनिया को अपनाना है।
- यह [द्वियांगजन](#) समुदाय के लिये व्यापक अभिगम्यता दिशानिर्देश भी प्रदान करता है।

■ **प्रसारकों को सशक्त बनाना:**

- यह स्व-विनियमन तंत्र के साथ प्रसारकों को सशक्त बनाने के प्रावधानों का प्रवेश कराता है।
- यह नियामक नरीक्षण और **उद्योग स्वायत्तता के बीच संतुलन** बनाने का लक्ष्य रखता है।

■ **कोड के प्रती वभिदति दृष्टिकोण:**

- मसौदा वधियक विभिन्न सेवाओं में कार्यक्रम और वजिापन कोड के लिये 'एक वभिदति दृष्टिकोण' (a differentiated approach) की भी अनुमति देता है।
- वभिदति दृष्टिकोण की अनुमति देकर, विनियमों को रैखिक और **ऑन-डिमांड कंटेंट की प्रकृति के अनुरूप बनाया जा सकता है**, जिससे


कंटेंट निर्माताओं के लिये अधिक लचीलापन एवं प्रासंगिकता प्रदान की जा सकती है।

■ नष्पिकषता के उपाय:

- इस वधियक के तहत, नष्पिकषता के लिये मौद्रिक दंड को नकिय के नविश और कारोबार(टर्न ओवर) से संबद्ध किय गया है। नकिय की वतित्तीय स्थति के आधर पर दंड अनुपातिक रूप से नरिधरति किय जाता है।
- सीमति वतित्तीय क्षमता वाले छोटे नकियाओं की तुलना में अधिक नविश और टर्नओवर वाले बड़े नगिर्मों को अधिक जुरमाने का सामना करना पड़ सकता है।

■ हतिधरक भागीदारी:

- वधियक सार्वजनिक परामर्श के माध्यम से हतिधरकों की भागीदारी को इंगति करता है। उद्योग एकीकृत कानून के लिये सरकार की पहल का स्वागत कर रहा है और उम्मीद कर रहा है कि इससे अनुपालन एवं प्रवर्तन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थति किय जा सकेगा।



वधियक के वपिकष में कौन-से तर्क हैं?

■ नयित्रण एवं वनियिमन की आशंकाएँ:

- वधियक इस संबंध में चति को जन्म देता है कि इसका ध्यान वास्तव में सार्वजनिक सेवा पर है या सरकार नयित्रण एवं वनियिमन बढ़ाने की मंशा रखती है।
- ऐसी आशंकाएँ हैं कि यह वधियक डिजिटल अवसंरचना और नागरिकों के देखने के विकल्पों (viewing choices) पर सरकारी नयित्रण को बढ़ा सकता है।

■ मसौदे में मौजूद असपष्ट प्रावधान:

- मसौदे में एक वशिष्ट प्रावधान (बडि 36), व्यापक एवं असपष्ट भाषा पर बल देता है जो अधिकारियों को कंटेंट को प्रतबंधित करने की शक्ति प्रदान करता है।
- यह सरकार के नरिदेशन में कार्य करने वाले 'अधिकृत अधिकारियों' के प्रभाव के संबंध में सवाल उठाता है।

■ अल्पसंख्यक समुदायों पर संभावति प्रभाव:

- वधियक को लेकर यह चति जताई गई है कि यह भारतीय अल्पसंख्यक समुदायों के उन्मूलन या चयनात्मक प्रतनिधित्व को जन्म दे सकता है।
- मसौदे में असपष्ट भाषा का उपयोग भारत की सार्वभौमिक बहुसंख्यक पहचान को बढ़ावा देने के लिये किय जा सकता है।

■ केबल वनियिमन से संबंधति मुद्दे:


- केबल टेलीवजिन नेटवर्क (वनियिमन) अधनियिम, 1995 का उद्देश्य शुरु में अवैध केबल ऑपरेटरों पर अंकुश लगाना था, लेकिन ऑपरेटरों, राजनेताओं, उद्यमियों और प्रसारकों की सांठगांठ के कारण इसमें पारदर्शति की कमी थी।
- नया वधियक भारतीय मीडिया उद्योग के भीतर हतियों के टकराव और अपारदर्शी अभ्यासों सहति मौजूदा अधनियिम के कार्यान्वयन में व्याप्त खामियों एवं समस्याओं को संबोधति करने में वफिल रहा है।

■ सरकार के भरोसे की कमी:

- वधियक को मीडिया वनियिमन के साथ सत्तारूढ़ सरकार के हालिया इतिहास की रोशनी में भी देखा जा रहा है, जो अधूरे वादों और संदग्ध परिणामों के एक पैटर्न को उजागर करता है।
- वधियक को राष्ट्रीय कल्याण के लिये पेश किय गए वविदास्पद आईटी नयिम, 2021 के साथ जोड़कर भी देखा जा रहा है।

■ ओलिगोपोलिटिक मीडिया स्वामित्व की प्रवृत्तियाँ:

- 'सांस्कृतिक आक्रमण' और 'राष्ट्र-वरोधी' प्रोग्रामिंग पर बहस के बीच, सरकारी अधिकारियों और मीडिया घरानों की सांठगांठ कुलीन या ओलिगोपोलिटिक मीडिया स्वामित्व (oligopolistic media ownership) को बढ़ावा दे सकती है।



भारत में प्रभावी प्रसारण वनियमन के लिये आगे की राह

■ व्यापक वधिन:

- एक व्यापक और आधुनिक वधियी ढाँचा विकसित करें जिसमें पारंपरिक टेलीविजन, OTT प्लेटफॉर्म, डिजिटल मीडिया और उभरती प्रौद्योगिकियों सहित प्रसारण के सभी पहलू शामिल हों।
- कंटेंट की वधिता को बढ़ावा देने के लिये प्रसारकों और कंटेंट निर्माताओं के बीच प्रतस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करें। अभिव्यक्तियों और दृष्टिकोणों की बहुलता सुनिश्चित करने के लिये मीडिया स्वामित्व की एकाग्रता से बचें।

■ हतिधारक परामर्श:

- उद्योग विशेषज्ञों, कंटेंट निर्माताओं, प्रसारकों और आम लोगों की अंतरदृष्टि प्राप्त करने के लिये हतिधारक परामर्श को प्राथमिकता दें। सुवर्जित वनियमन के निर्माण के लिये वधि दृष्टिकोण सुनिश्चित करें।

■ प्रौद्योगिकी के प्रतः अनुकूलनशीलता:

- ऐसे वनियमन डिजाइन करें जो प्रौद्योगिकीय प्रगतियों के अनुकूल हों। मीडिया परदृश्य की तेजी से विकसित हो रही प्रकृति पर वधिर करें और सुनिश्चित करें कि वनियमन समय के साथ प्रसंगिक एवं प्रभावी बने रहें।

■ कंटेंट वर्गीकरण और रेटिंग:

- दर्शकों के लिये स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान करने के लिये एक सुदृढ़ कंटेंट वर्गीकरण एवं रेटिंग प्रणाली लागू करें। यह सुनिश्चित करेगा कि दर्शक सूचित विकल्प चुन सकें और यह उपयुक्तता के आधार पर कंटेंट को वनियमित करने में मदद करेगा।

■ स्वतंत्र नयामक नकिया:

- अनुपालन को लागू करने और नगरानी करने के अधिकार के साथ एक स्वतंत्र नयामक नकिया की स्थापना करें। नयामक नरिणों में पारदर्शिता, नषिपक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करें।

■ प्लेटफॉर्मों के लिये वधिदति दृष्टिकोण:

- पारंपरिक टीवी, OTT और डिजिटल मीडिया सहित प्रसारण प्लेटफॉर्मों की वधिता को चहिनति करें। प्रत्येक प्लेटफॉर्म की वधिशिताओं और चुनौतियों को चहिनति करते हुए वनियमन में एक वधिदति दृष्टिकोण अपनाएँ।

■ नयिमति समीक्षा और अद्यतन:

- वनियमों की नयिमति समीक्षा और अद्यतन के लिये एक तंत्र स्थापित करें। यह नयामक ढाँचे को तकनीकी परिवर्तनों, सामाजिक बदलावों और उभरती चुनौतियों से अवगत रहने की अनुमति देगा।

■ स्पष्ट प्रवर्तन तंत्र:

- नयामक उल्लंघनों के लिये स्पष्ट प्रवर्तन तंत्र को परभिशित करें। नयामक ढाँचे की अखंडता को बनाए रखने के लिये शकियात, जाँच और प्रतबिधों से नपिटने के लिये एक नषिपक्ष एवं कुशल प्रक्रिया स्थापित करें।

■ मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देना:

- जनता को ज़मिमेदार मीडिया उपभोग के बारे में शकषित करने के लिये मीडिया साक्षरता कार्यक्रमों में नविश करें। सूचित दर्शक वर्ग एक स्वस्थ मीडिया वातावरण में योगदान देता है और अत्यधिक नयामक उपायों की आवश्यकता को कम करता है।

■ अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यास:

- प्रसारण वनियमन में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यासों का अध्ययन करें और उन्हें शामिल करें। भारत के अद्वितीय सांस्कृतिक और

सामाजिक संदर्भ का ध्यान रखते हुए प्रभावी रणनीतियाँ अपनाने के लिये अन्य देशों के अनुभवों से सीखें।

नषिकरष

प्रसारण वनियमन केवल अनुपालन के बारे में नहीं है बलकएक ऐसा वातावरण बनाने के बारे में भी है जो वकिस, नवाचार और संचार सेवाओं तक न्यायसंगत पहुँच को प्रोत्साहति करे। नयामक पर्यवेक्षण और उद्योग स्वायत्तता के बीच इष्टतम संतुलन की तलाश कर, भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहे दूरसंचार कषेत्र में दीर्घकालिक सफलता के लिये रणनीतिक रूप से स्वयं को स्थापति कर सकता है।

अभ्यास प्रश्न: भारत में प्रसारण सेवा (वनियमन) वधियक 2023 को स्वरूप प्रदान करने से संबद्ध प्राथमिकि चतिाएँ कौन-सी हैं? देश में दूरसंचार कषेत्र के लिये सुदृढ़ वनियमन स्थापति करने और उन्हें बनाए रखने पर लक्षति नीतगित रणनीतियों के सुझाव दीजिये।

वधिकि अंतरदृष्टि:

[प्रसारण सेवा \(वनियमन\) वधियक 2023](#)

<https://www.drishtijudiciary.com/hin/recent-judgements>

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष प्रश्न (PYQ)

????????

प्रश्न. भारत में नमिनलखिति में से कसिके लिये साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रपिर्ट करना कानूनी रूप से अनविर्य है? (2017)

1. सेवा प्रदाताओं
2. डेटा केंद्र
3. कॉर्पोरेट नकियाय

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न. अंकीयकृत (डजिटिाइज़्ड) दुनयिा में बढ़ते हुए साइबर अपराधों के कारण डाटा सुरक्षा का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। जस्टिसि बी.एन. शरीकृषणा समतितिकी रपिर्ट में डाटा की सुरक्षा से संबंधति मुद्दों पर सोच-वचिर कयिा गया है। आपके वचिर में साइबर स्पेस में नजिी डाटा की सुरक्षा से संबंधति इस रपिर्ट की खूबयिाँ और खामयिाँ क्य़ा-क्य़ा हैं? (2018)